न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 223/2019
GCMS NO. : 2012/00187

-:: प्रार्थीगण ::-

1. कैलाशचन्द उर्फ श्रीधर पुत्र मोहनलाल के कायम मुकाम
   1/1. कंचनदेवी गौड बेवा कैलाशचन्द उर्फ श्रीधर
   1/2. अभय कुमार गौड पुत्र कैलाशचन्द उर्फ श्रीधर
   1/3. सतीशचन्द गौड पुत्र कैलाशचन्द उर्फ श्रीधर
   1/4. अक्षया गौड पुत्री कैलाशचन्द उर्फ श्रीधर
   1/5. सन्तोष गौड पुत्री कैलाशचन्द उर्फ श्रीधर
   1/6. राजलक्ष्मी गौड पुत्री कैलाशचन्द उर्फ श्रीधर
   1/7. राजकुमारी पुत्रवधु दिनेश कुमार गौड

जतियान ब्राह्म्ण निवासीगण रामावास कलां हाल जोधपुर।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली जिला पाली (राज.)
2. तहसीलदार जैतारण जिला पाली तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 18/10/2019

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहट, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री नायब तहसीलदार, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय : **दिनॉकः 26/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.05 बिस्वा किस्म गैर मु. बेरा बावडी व खसरा नं. 91 रकबा 15.16 बीघा किस्म चाही तृतीय बावडी का जाव कुल खसरान उम्बर दो कुल रकबा 16.01 बीघा सरहद मौजा रामावास कला पटवार हल्का रामावासकला तहसील जैतारण जिला पाली में वाके है जिसका सायल एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2068-71 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 90 [illegible] बावडी व खसरा नं. 91 बावड़ी का जाव सायल की खुदकाश्त की [illegible] की [illegible] थी जिस पर सायल जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने से पूर्व यानि दिनांक 15.10.1952 के पूर्व से बतौर खुदकाश्त के खातेदार काश्तकार के रुप में काबिज था व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

काश्त करता था जिसकी पर्चा खतौनी सम्वत् 2007 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है व पर्चा खतौनी जारी करते वक्त सायल की खुदकाश्त का बेरा बावड़ी व उसका जाव के काश्तकार के रुप में नारायण वल्द बद्रीराम 1/3 हिस्सा व लादूराम पुत्र गणेशराम 2/3 हिस्सा जातियान ब्राहम्ण निवासी रामावास कला के नाम खातेदार के रुप में गलत इन्द्राज हो गया, जबकि खातेदार काश्तकार सायल ही था जिसकी गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर सायल द्वारा राजस्व अधिकारियों को आवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन भरा गया व दुरुस्ती कर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 90 व 91 खुदकाश्त डोलीदार सायल शिधर के नाम दर्ज कर दी गई, उक्त म्यूटेशन ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा दिनांक 10.06.1960 को पारित किया गया, म्यूटेशन दिनांक 10.06.1960 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है व पर्चा खतौनी वर्ष 1953 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है व खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 वादग्रस्त भूमि की प्रमाणित प्रति एवं जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2019-2022 , 2023-2026, 2027-2030, 2031-2034, 2035-2038, 2039-2042, 2044-2047, 2048-2051, 2052-2055, 2055-2056, 2056-2059, 2060-2063, 2064-2067, 2068-2071 की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। राजस्व अभियान कैम्प रामावास कला में दिनांक 27.01.1983 को सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 90 रकबा 0.05 बिस्वा गे.मु.बेरा बावडी व खसरा नं. 91 रकबा 15.16 बीघा कुल रकबा 16.01 बीघा भूमि खादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी को गलत रुप से डोली बनाम गंवाई पिचका दर्ज कर काश्तकार श्रीधर वल्द मोहनलाल ब्राहम्ण का गलत अवैध गैरकानूनी रुप से म्यूटेशन सं. 188 भरा जाकर तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत किया गया, जबकि सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर डोली गंवाई पिचका दर्ज करने का म्यूटेशन सं. 188 दिनांक 27.01.83 अवैध व गैरकानूनी है नल एण्ड वॉईड है सायल के हितों के विरुद्ध बेअसर है जिसे रद्द (केन्सिल) घोषित करवाने हेतु यह वाद बाबत् घोषणा खिलाफ गैरसायल के पेश है। म्यूटेशन सं 188/27.01.1983 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायल वादग्रस्त कृषि भूमि सायल की निजी खुदकाश्त की डोली की जमीन व कुआ था जो गलत रुप से गंवाई पिचके का गलत इन्द्राज दर्ज किया गया, न तो कभी गंवाई पिचका रहा, न है बल्कि सायल की खुदकाश्त की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी जिस पर बतौर काश्तकार जाग्रीन पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने से पूर्व से आज दिन तक बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय यानि दिनांक 15.10.1955 को उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार [illegible] काबिज था व धारा 15 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार [illegible] बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार [illegible] ऐसी घोषणा प्राप्त करने का सायल अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ गैरसायल के पेश है। गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

ने राजस्व रेकर्ड में सायल को बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई के उसका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज था उसे अवैध, गैरकानूनी रुप से जरिये म्यूटेशन सं. 188 दिनाक 27.01.1983 को हटाकर जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2035-2038 में डोली बनाम गंवाई पिचका इन्द्राज किया जो एक रोंग एन्ट्री है जिसे जरिये दुरुस्ती के हटाया जाकर व म्यूटेशन सं. 188 को रद्द घोषित किया जाकर सायल को बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में नाम दर्ज किया जावे। ऐसी घोषणा प्राप्त करने का सायल अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गैरसायल के पेश है। धारा 80(1) व 80(2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र अलग से वाद के साथ पेश किया जा रहा है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर पटवारी हल्का रामावास कला ने वादग्रस्त भूमि डोली गंवाई पिचका दर्ज हो जाने से सायल को बेदखल करने हेतु दिनांक 17.06.2012 को ग्राम रामावास कला में एलानिया धमकी दी, तब सायल ने वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर उक्त म्यूटेशन सं. 188 व जमाबन्दी खतौनी में नाम हटाने का सर्व प्रथम इल्म हुआ, सायल वादग्रस्त भूमि का रिकोर्डेड काबित खातेदार काश्तकार है उसे बेदखल करने व करवाने का गैरसायल को कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि गैरसायल द्वारा ऐसा किया गया, तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। इसलिए सायल गैरसायल के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है। श्रीधर मेरा उपनाम है तथा सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात् में मेरा नाम कैलाशचन्द्र दर्ज है जबकि श्रीधर व कैलाशचन्द्र मैं एक ही व्यक्ति हूं तथा मुझे उक्त दोनों नामों से जानते व पहचानते है। श्रीधर उर्फ कैलाशचन्द्र वल्द मोहनलाल ब्राहम्ण के नाम का व्यक्ति में ही हूं। अन्य कोई व्यक्ति इस नाम का नहीं है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात् के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 90 व 91 की भूमि पर सायल काबिज खातेदार काश्तकार है गैरसायलान जमाबन्दी में गलत रेकर्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी से सायल को बेखदल करने व कब्जा काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है यदि गैरसायलान के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ऐसा किया तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त पर्चा लगान, खतौनी बन्दोबस्त, गिरदावरी से व मौके पर कब्जा काश्त के आधार सायल के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है। इसलिए सायल, गैरसालयान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा रामावास कला पटवार हल्का रामावासकला तहसील जैतारण जिला पाली में वाके कृषि भूमि खसरा न[illegible]0 रकबा 0.05 बिस्वा किस्म गैर मु.बेरा बावडी व खसरा नं. [illegible] किस्म चाही चाही तृतीय बावडी का जाव कुल खसरा[illegible] रकबा 16.01 बीघा का सायल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है गैरसा[illegible]यलान द्वारा सायल को वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

से बेखदल करने, या करवाने व कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने या करवाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलन की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पद संख्या 01 का जबाब है कि मौजा रामावास कलां के ख.नं. 90 तथा ख.नं. 91 कुल रकबा 16.01 बीघा भूमि डोली गंवाई पीचका के नाम की खातेदारी भूमि है अतः वादी द्वारा स्वयं की खातेदारी मात्र बताने का कथन असत्य है तथा अस्वीकार है। पद संख्या 02 का जबाब है कि कानूनी एवं अभिलेख प्रतियों संबंधी कथन है वादी स्वयं सिद्ध करें। पद संख्या 03 का जबाब है कि नामान्तरकण संख्या 188 दिनांक 27.01.1983 पूर्णतः वैधानिक है वादी द्वारा बिना किसी आधार के उसे अवैधानिक बताया जाना अस्वीकार है। पद संख्या 04, 05, 06 अस्वीकार है। पद संख्या 07 का जबाब है कि वादी के नाम एवं उर्फनाम का स्पष्टीकरण है जबाब आवश्यक नहीं है। पद संख्या 08 अस्वीकार है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम रामावास कलां की जमाबंदी संवत् 2068-2071 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी डोली गांवाई पीचका के नाम खातेदारी दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की संवत्वार जमाबंदियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दीर्घ समय से वादग्रस्त आराजी डोली गांवाई पीचका के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें श्रीधर पुत्र मोहनलाल का नाम काश्तकार के रूप में अंकित है। प्रार्थी द्वारा म्युटेशन संख्या 188 दिनांक 27/01/1983 को अवैध बताते हुए वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा.पत्र में प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किये कि नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक दिनांक 27/01/1983 वैद्यानिक है एवं वादग्रस्त आराजी डोली गावांई पीचका के नाम की खातेदारी भूमि है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण के संबंध में टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि डोली बनाम गावांई पीचका के नाम खातेदारी दर्ज भूमि में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला किसी भी रूप में साबित नहीं होता है। अतः यह बिंदु प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम बिंदु प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। चुंकि वादग्रस्त आराजी डोली गावांई पीचका के नाम खातेदारी दर्ज है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के बजाय खाता डोली गावांई पीचका के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निहित है। अतः सुविधा का संतुलन बिंदू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में पूर्णतया विफल रहे है कि यदि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होगी जबकि वादग्रस्त आराजी डोली गावांई पीचका के नाम खातेदारी दर्ज भूमि है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:11 IST
Reason: SelfAttested